वाद संख्या–588 / 2014
श्यामरथी–बनाम–सरिता देवी वगैरह

08.02.2023:–

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद–बिन्दु संख्या–2,3,4 नियत है।

<u>निस्तारण वाद–बिन्दु संख्या–02:–</u>

वाद–बिन्दु संख्या–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है? उभयपक्ष को सुना गया। वाद–बिन्दु संख्या–2 मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मूल्यांकन के बावत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद का मूल्यांकन जो किया गया है समुचित है। वाद–बिन्दु संख्या–2 वादिनी के पक्ष में सकारात्मक तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद–बिन्दु संख्या–03:–</u>

वाद–बिन्दु संख्या–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद का प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है? उभयपक्ष को सुना गया। प्रतिवादीगण की तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मुन्सरीम की आख्या व दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि न्यायशुल्क समुचित अदा किया गया प्रतीत होता है। वाद–बिन्दु संख्या–03 वादिनी के पक्ष में सकारात्मक तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद–बिन्दु संख्या–04:–</u>

वाद–बिन्दु संख्या–4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रस्तुत वाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है? उभयपक्ष को सुना गया। वाद का मूल्यांकन 5,00000 / – (पॉच लाख रुपये मात्र) के परिसीमा के अन्दर है एवं दावा स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का है जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 25.04.2023 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0, बॉसगॉव
गोरखपुर।